मण्डल:- वाराणसी,जनपद:- गाजीपुर,तहसील:- कासिमाबाद

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 00554/2018

रामप्यारी देवी बनाम गाँव सभा

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 30/01/2018

निर्णय

रामप्यारी देवी स्त्री स्व0 रामजी तिवारी सा0 देवली परगना जहुराबाद तहसील कासिमाबाद जिला गाजीपुर के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों की जांच तहसीलदार कासिमाबाद जिला गाजीपुर द्वारा की गयी है जांच रिपोर्ट अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुक्रम मे पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है की मौजा देवली परगना जहुराबाद तहसील कासिमाबाद जिला गाजीपुर खाता सं0 195 के आ0नं0 163स/रकबा 2-298हे0 मे रकबा 0-766हे0 व खाता सं0 418 के आ0नं0 178/रकबा 0-316हे0 मे रकबा 0-079हे0 पर गोपीनाथ विद्याट्रस्ट,देवली सलामतपुर गाजीपुर जरिये प्रबन्धक रामप्यारी देवी स्त्री रामजी तिवारी सा0 देवली परगना जहुराबाद तहसील कासिमाबाद जिला गाजीपुर दर्ज है। प्रश्नगत आराजी मौके पर परती है तथा उक्त भुखण्ड मे निर्माण कार्य हो रहा है। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है की प्रश्नगत आराजी मे कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आवेदिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, मुहम्मदाबाद गाजीपुर मे चालान सं0 30 दिनाक 30-1-18 को मु0 34,600/-भूराजस्व मे जमा किया गया है। चालान की मूल प्रति संलग्न है उक्त के दृष्टिगत जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा देवली परगना जहुराबाद तहसील कासिमाबाद जिला गाजीपुर के खाता सं0 195 के आ0नं0 163/रकबा 2-298 हे0 मे से रकबा 0-766हे0 व खाता 418 के आ0नं0 स178/रकबा 0-316हे0 मे से रकबा 0-079हे0 अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना जारी हो। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ़्तर होवे।

दिनाक 30.01.18

उपजिलाधिकारी
कासिमाबाद,गाजीपुर

नकलकर्ता
मिलानकर्ता
शब्द संख्या 175

सत्य प्रतिलिपि
5.2.18
पेशकार
उपजिलाधिकारी कासिमाबाद
गाजीपुर

मुख्य ट्रस्टी
गोपीनाथ विद्या ट्रस्ट
देवली, सलामतपुर-गाजीपुर

1/30/2018 4:31 PM